



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2007/भाद्र 28, 1929

No. 1143]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2007/BHADRA 28, 1929

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(पूंजी बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2007

का.आ. 1573(अ).—जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने अधिसूचना का.आ. 1206(अ) दिनांक 29 अगस्त, 2005 के द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (जिसे यहां इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4ख के अनुसार हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (निगमीकरण और अपरस्पीकरण) योजना, 2005 अधिसूचित की थी;

2. और जबकि अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को निगमित और अपरस्पीकृत नहीं किया गया हो, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को धारा 4 के तहत दी गई मान्यता समाप्त मानी जाएगी;

3. और जबकि हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद "एचएसई" कहा गया है) विनिर्दिष्ट समय के भीतर अर्थात् 28 अगस्त, 2007 को अथवा उससे पूर्व, अपरस्पीकृत होने में असफल रहा है;

4. अतः, अब, अधिनियम की धारा (5) की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते-हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि, एचएसई के निर्धारित समय के भीतर अपरस्पीकृत होने में असफल रहने के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 4 के तहत एचएसई को दी गई मान्यता समाप्त की जाती है।

[फा. सं. 1/25/एसएम/2007]

डॉ. के.पी. कृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2007

S.O. 1573(E).—Whereas the Securities and Exchange Board of India *vide* notification S.O. 1206(E) dated the 29th August, 2005 had notified the Hyderabad Stock Exchange Limited (Corporatisation and Demutualisation) Scheme, 2005 in terms of section 4B of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereinafter referred to as "The Act");

2. And whereas sub-section (2) of section 5 of the Act provides that where a recognised stock exchange has not been corporatized and demutualised within the specified time, the recognition granted to such stock exchange under section 4 stands withdrawn;

3. And whereas the Hyderabad Stock Exchange Limited (hereinafter referred to as 'HSE') has failed to be demutualised within the specified time, i.e. on or before the 28th August, 2007;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section (5) of the Act, the Central Government hereby notifies that, consequent upon failure of HSE in demutualising within the stipulated time, the recognition granted to HSE under section 4 of the Act stands withdrawn.

[F. No. 1/25/SM/2007]

Dr. K. P. KRISHNAN, Jt. Secy.